

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकल पीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या : 777 / 2017

Rakshak Society (Regd.)

Versus

Ravi Jain

2.6.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री यू पी गौड तथा श्री एस पी धनेरा ।

सुना गया ।

योग्य अधिवक्ता याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह में अयाची संख्या 1 के क्रम में फ़ेश पी एफ नोटिस पेश करें जो पेश किए जाने पर जुलाई, 2017 के अंतिम सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जावें ।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति